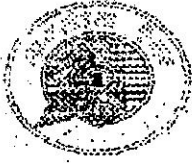


पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०-०९-०१

कमाके-८६/२०१८

आरबीई सं०-६८/२०१८

सं० ई/३३/२/भाग-३/वार

दिनांक १०-०६-२०१८

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का
अनुपालन-शिक्षा भत्ता का समाप्त किया जाना।

एवे बोर्ड का पत्र सं०-२०११/एफ(ई)।।।/२ (२)-३ दिनांक १४.०५.२०१८ की
अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा
रही है।

संलग्नक/यथापरि

(आर०के०/महाप्रबन्धक)

सकाधि/मुख्या०-।।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानित्री/एन.ई.रेलवे नजदूर यूनियन/गोरखपुर - ४० प्रतियों में।
- 2- महानित्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- 3- महानित्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - ०१ प्रति में।
- 5- महानित्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-०२ प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - ०१ प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

१०.६.२०१८

